

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

यह पाया गया है कि राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने एवं समान स्तर के एकाधिक शिक्षक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में समस्त जिलों में एकरूपता का अभाव है।

अतः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारु एवं सुव्यस्थित संचालन हेतु संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. किसी भी उप्रावि/प्रावि में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
2. व.अ. का पद रिक्त/स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
3. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम प्रबोधक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा।
4. उपर्युक्तानुसार दिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्यथा स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकनी/पैराटीचर /ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवावधि के आधार पर होगा।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 20/01/2017

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विद्या.व्यव./2017-18/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- उप निदेशक, प्रा.शि. समस्त।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. समस्त।
- 3- कार्यालय प्रति।

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर


क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/जय/सरथा 2-3/फा-25/ह/2016

दिनांक 5-8-2016

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति समस्त


विषय:- विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने पर चार्ज बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक या पाठ्य वेतन) कार्यरत नहीं है, उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चार्ज का हस्तान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 21.04.2016 के बिन्दू संख्या सी व डी के अनुसार जिला क्रम में वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय निर्धारित किया गया है उसी क्रम में लेवल द्वितीय के अध्यापक को चार्ज दिया जावेगा एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों में से वरिष्ठतम को चार्ज दिया जावेगा।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर